बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

वृहस्पतिवार, तिथि २९ मार्च १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २९ मार्च १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

*तारांकित प्रश्नोत्तर।

*Starred Questions and Answers.

MATCH FACTORY IN KATIHAR.

*731. **Shri NAND KISHORE NARAYAN LAL** : Will the Hon'ble Minister in charge of Development and Industries Department be pleased to state—

(*a*) whether there was a match factory in Katihar, if so, the date when it was established and the date since when it has been closed;

(*b*) the arrangement made for the accommodation of the labourers;

(*c*) the extent of loss to the Government in respect of tax;

(*d*) whether Government propose to get the factory started, if not, why not?

Shri BIR CHANDRA PATEL : (*a*) The answer is in the affirmative. There was a match factory at Katihar, called Calcutta Match Works (India), Ltd. It was started in the year 1942 and it ceased to function from the 17th July 1948.

(*b*) During an inspection of the factory by an officer of the Industries Department it was found that quatrers were provided for 60 per cent of the workers.

(*c*) The extent of loss to the Central Government in respect of Central Excise duty comes to about six lakhs based on the figures of receipt of the years 1946-47, 1947-48 and 1948-49.

(*d*) The factory was a private concern and ceased to operate due to the differences among the proprietors and it is very difficult to induce them to restart the factory.

Shri NAND KISHORE NARAYAN LAL : What step Government propose to take to restart the factory?

विहार प्रेमिसेज रिक्विजीशन (टेम्पोरेरी प्रोवीजन्स) (एमेंडमेंट) बिल, १९५१ [१९५१ की बि० स० १७]।

THE BIHAR PREMISES REQUISITION (TEMPORARY PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL, 1951

[BILL NO. 17 of 1951.]

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विहार प्रेमिसेज रिक्विजीशन (टेम्पोरेरी प्रोवीजन्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५१ पर विचार हो।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही छोटा बिल है जिसका उद्देश्य Statement of Objects and Reasons में दिया हुआ है। The Bihar Premises Requisition (Temporary Provisions) (Amendment) Act, 1949 के section 2 (*d*) में जो "premises" का definition दिया गया है उसके मुताबिक Government ऐसे मकान को नहीं ले सकती है जो खाली है मगर किराए पर नहीं लगाया जा रहा है। आज चूंकि Government का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मकान की जरूरत खासकर गल्ला रखने के लिए है, इसलिए जो फाजिल मकान हैं उनको भी लेना हम लोगों के लिए आवश्यक हो गया है।

इसका मकसद सिर्फ एक ही है—जो "premises" की परिभाषा (definition) है बदल दिया जाय और इसके अनुसार और भी संशोधन ऐक्ट में कर दिया जाय।

मैं समझता हूं इस बिल के आशय को मैंने बतला दिया और हाउस मेरे प्रस्ताव को मान लेगा।

Shri SAIYID AMIN AHMAD : Sir, I beg to move :

That the Bihar Premises Requisition (Temporary Provisions) Bill, 1951, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 25th April, 1951.

जनाब सदर, मेरे दोस्त तो कहते हैं कि यह छोटा सा बिल है और इसको यकीनी पास ही कर देना चाहिए चूंकि यह गवर्नमेंट का बिल है और गवर्नमेंट के बिल पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मगर सोचने की जरूरत इसलिये पड़ जाती है कि गवर्नमेंट अपना बिल उन लोगों से राय लेकर नहीं बनाती जिन लोगों का काम गवर्नमेंट को कानूनी मशवरा देना है। इस छोटे से बिल के अन्दर कितने Himalayan blunders हैं............

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय : आप पहले Mount Everest से ही शुरु कीजिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : Mount Everest तो Supreme Court में पड़ा हुआ है।

श्री वीरचन्द्र पटेल : Supreme Court में नहीं Indian Parliament में है।

श्री सैयद अमीन अहमद : जी हां, Constitution के साथ-साथ आप dictionary भी बदल डालियेगा, क्योंकि आपके मुताबिक dictionary में भी बहुत गलती है।

श्री वीरचन्द पटेल: हां, language भी बदल जायगा।

श्री सैयद अमीन अहमद: हां, एक चीज को मगर आप नहीं बदलेंगे—अपने आप को। मेरे दोस्त ने इस बिल को लाया है यह कह कर कि हमको गल्ला रखने के लिये जगह चाहिये। सबसे पहले ये बिल लाये १९४९ में यह कह कर कि हमको रांची में मिलिट्री अफसरों के रहने के लिये जगह चाहिये।

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय: खास तौर से।

श्री सैयद अमीन अहमद: किसी तौर से भी, मगर आपने यही कहा था। मगर जब कानून बना दिया गया तो अब सिर्फ मिलिट्री के लिये नहीं बल्कि जिसका मकान चाहें, जब चाहें, जिसके लिये चाहें ले लें। गवर्नमेंट ने इस वक्त देखा कि लोग food scarcity से परेशान हैं तो सामने यह रख दिया कि लोगों के food scarcity को दूर करने के लिये godown की जरूरत है। बेशक इसकी तारीफ हम करेंगे कि मेरे दोस्त हवा का रुख खूब पहचानते हैं और पब्लिक को किस तरह गलतफहमी में मुबतला किया जाता है खूब जानते हैं। सारे opposition को रोकने के लिये godown का लफ्ज यहां रखा गया है। हम अपने दोस्त से पूछेंगे कि वाकई godown बनाने के लिये एक भी मकान पटना में आपने लिया है? एक भी नहीं।

श्री वीरचन्द पटेल: मुफस्सिल में बहुत लिया गया है। खासकर उत्तर बिहार में।

श्री सैयद अमीन अहमद: हकीकत यही है जनाब सदर कि मेरे दोस्त काम करते हैं लेकिन उसके नतीजे को, उसके reaction को, और उसके consequence को नहीं समझते।

आपने समझ रखा है कि मकान दूसरे लोग बनावें और आप उसे ले लें। मकान आदमी अपने और अपने बाल बच्चों के फायदे के लिये बनाता है। अगर सरकार इस तरह मकानों पर कब्जा कर लेगी तो इसका नतीजा यही होगा कि लोग मकान बनाना बन्द कर देंगे। आप किसी problem को solve नहीं करते हैं आप उसे complicate करते हैं। Housing problem को आप solve नहीं कर सकते हैं; आपके पास न रुपया है और न आपके पास सामान है। फिर भी आप public को encourage करने के बदले मकान बनाने से discourage करते हैं। आप drastic कानून बना कर लोगों के दिल में दहशत पैदा करते हैं। कितने लोग हैं जो मकान बनाना चाहते हैं लेकिन आप इस तरह के drastic कानून बनाते चले जा रहे हैं कि आदमी को न अपने में confidence है और न अपनी property में confidence है और सभी लोगों को आप ने State of uncertainty में रख दिया है। आपने अपनी कार्रवाइयों से कोई तरक्की नहीं हासिल की बल्कि इस प्रान्त को तनजुली की तरफ गिरा दिया।

अभी तक कानून यह है कि अगर किसी ने किराया लगाने की नियत से मकान बनाया है तो उसे आप ले ले सकते हैं। अब आप यह करना चाहते हैं कि अगर मकान

बनाने वाला ordinarily उस मकान में नहीं रहता है तो आप उसे ले लेंगे। जरा गौर करें कि यह कहां का इन्साफ है। मान लीजिये एक आदमी को दो जगहों पर मकान है—एक मुजफ्फरपुर में और दूसरा पटने में। रोजगार की वजह से वह मुजफ्फरपुर में ९॥ महीना रहता है और २॥ महीना सिर्फ पटने में रहता है। अब आप कहेंगे कि ordinarily वह पटना में नहीं रहता है इसलिये आप उसके मकान को छीन लेंगे। यह कहां का इन्साफ है। अगर आप को मकान की जरूरत है तो आप मकान बनावें या नहीं बनाते हैं तो मकान खरीद लें लेकिन यह कहां का इन्साफ है कि न आप मकान बनायेंगे और न खरीदेंगे लेकिन दूसरे के मकान को आप छीन लेंगे और उन्हें परीशान करेंगे। हमें यकीन है कि हमारी बातें नहीं सुनी जायेंगी, क्योंकि बिल कैसा भी क्यों न हो मगर उस पर हमारे दोस्त का stamp पड़ चुका है, इसलिये उसे पास होना ही चाहिये हालांकि आगे चल कर ज्यादातर इनके कानून *ultra vires* declare किये जाते हैं। मैं अपने दोस्त को यह बता देना चाहता हूं कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होता। इन पांच सालों के अन्दर आपने जितना कानून पास किया है शायद दुनिया की किसी हुकूमत ने इतने दिनों में नहीं पास किया होगा लेकिन इतने कानून बनाने के बाद भी आपने जिस मुसीबत की हालत में यहां की जनता को पहुंचा दिया है शायद दुनियां की कोई हुकूमत इसमें भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती है। आपने एक तरफ कानून का अम्बार और दूसरी तरफ मुसीबत और परीशानी का ढेर लगा दिया है। आपने परीशानी और मुसीबतों का record कायम किया है।

सरदार हरिहर सिंह: आपने बोलने का record कायम किया है।

श्री सैयद अमीन अहमद: आप लोगों ने patience का record establish किया है।

माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय: आपको tolerate करने का स्पीकर साहब ने भी record establish किया है।

श्री सैयद अमीन अहमद: आप ही ऐसे मिनिस्टर हैं जो स्पीकर पर reflection करते हैं और वाह रे बिहार की जनता जो आपके ऐसे मिनिस्टर को tolerate करती है।]

श्री वीरचन्द्र पटेल: और वाहरे वह जनता जिसके representative आपके ऐसे लोग हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद: बेशक। हमारे दोस्त ने क्या कानूनी Jewel इस बिल में रखा है। अभी तक हमलोग constructive ownership का definition जानते है लेकिन अब हमारे दोस्त एक नया definition of owner करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: यदि आप Act के पेज २ में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह चीज पहले ही से कानून में मौजूद है।

श्री सैयद अमीन अहमद: अभी मुझे कहना यह है कि माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय ५ वर्ष जमींदारी उठाने का स्वप्न देखते रहे और उसमें क्या-क्या परेशानियां हुई आप लोग जानते ही हैं। अब मेरे दोस्त को तमाम मकानात को खतम करने को फिक्र हो गयी आप मेहरबानी कर कम-से-कम मकान वाले को कुछ security of property का ख्याल रखते हुए जिन्दा रहने दीजिये। आप public opinion में इस चीज को भेज कर देखें कि public क्या चाहती है। वह public हमारा और आपका मालिक है और उसकी राय जानना हमारा फर्ज है।

माननीय श्री कृष्णण बल्लभ सहाय: जनाब सदर, इस बिल के प्रति अमीन साहब का जो रुख है उसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। अमीन साहब समझते हैं कि जितने measures Government की तरफ से आते हैं उनका विरोध करने से ही जनता की वाहवाही मिल जायगी। इससे मैं समझता हूं कि आप अपने को betray करते हैं। कैसे आप अपने को betray करते हैं यह मैं बता देना चाहता हूं। आपकी bourgeois mentality चार करोड़ जनता से छिपी नहीं रहती है। आखिर इस बिल से हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर आपके पास खाली मकान पड़ा हुआ है तो उसको public के काम में इस्तेमाल किया जाय। और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका एक मकान पटना में रहे, एक चाइबासा में और तीसरा पुरुलिया में खाली पड़ा रहे और गरीब जनता का कोई काम उसमें न हो। हमें पूरा विश्वास है कि आपका यह dog in the manger policy किसी को पसन्द नहीं होगी। आप किराया पर नहीं देना चाहते हैं और न खुद इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मकान बनाने का सम्बन्ध है कोई भी नहीं कह सकता है कि उसका मकान बनने पर किराया पर नहीं लगा या किराया नहीं मिला। तो मकान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और Government किराया पर लेती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है; क्योंकि Government ने इतना मकान लिया पर किसी के साथ जुल्म नहीं किया। आप यह भी जान रखिये कि ordinary public जो किराया देती है उससे सरकार कहीं ज्यादा देती है। अमीन अहमद साहब को समझना चाहिये कि जमाना बदल गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी हर जगह एक-एक मकान बना कर खाली छोड़ दे और गरीबों को उसमें घुसने तक न दें। सूबे में जो कुछ सम्पत्ति है वह स्टेट की है और पहले स्टेट का काम चलना चाहिये और उसके बाद किसी individual को शौक करने का मौका मिलेगा। तो अमीन साहब को यह mentality सीखनी पड़ेगी। मेरे दोस्त कहते हैं कि godown की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी rationing की वजह से बहुत से private godowns हमने लिया है। इस कानून को ३१ मार्च के अन्दर बना देना इसलिये जरूरी है, क्योंकि इस मामले में जो Central Act है वह ३१ मार्च के बाद खतम हो जाता है।

श्री सैयद अमीन अहमद: उस Central Act का क्या title है?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय: थोड़ी देर में मैं आपको नाम बता दूंगा। इस कानून के मुताबिक हम godowns ले चुके हैं और उसको ३१ मार्च के बाद रखना पड़ेगा। इसलिए यह कानून आज आपके सामने है। सिर्फ पटना में ही नहीं तमाम देहात में भी गल्ला रखने के लिए हमें private मकान लेना है। बरसात के समय हम सब जगह गल्ला जल्द नहीं पहुंचा सकेंगे। सहरसा को ही लीजिए। क्या हमारे लिये बरसात के समय जल्द-से-जल्द सहरसा में गल्ला पहुंचाना सम्भव है? वहां अगर हमको private मकान में godown बनाने के लिये power न रहे तो हम उस area को कैसे rainy season में feed कर सकते हैं? दिक्कत तो यह है कि अमीन साहब seriousness of the situation को नहीं समझते हैं और सिर्फ इतना ही समझते हैं कि Government को oppose करने में ही वाहवाही है। आज सूबे में emergent situation है, इसलिए हर distant कोने में जहां motor नहीं गई है या train नहीं है वहां अन्न रखने के लिए godown की जरूरत है। हम समझते हैं House इस बात को मानता है और appreciate करता है।

हां, उस Central Act का नाम है Requisition of Land (Continuance of Powers) Act, 1947, यह Act ३१ मार्च को expire करता है इसलिए इस बिल को उस तारीख के अन्दर पास कराना है।

श्री सैयद अमीन अहमद: जनाब सदर, बहुत अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने बतला दिया कि Centre उस extraordinary कानून को रद्द करने जा रहा है। Centre ने इसको जरूरी और मुनासिब समझा कि इस कदर extraordinary legislation को अब जिन्दा नहीं रखना चाहिए। अभी Parliament बैठी हुई है; अगर Central Government चाहती तो क्या इसे extend नहीं कर सकती है? मगर Centre ने सही समझा कि इस किस्म के extraordinary कानून को अब नहीं रहने देना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या 1947 में लड़ाई थी?

श्री सैयद अमीन अहमद: यह Requisition of Land (Continuance of Power) Act है, यानी लड़ाई के वक्त यह आया था और उसके बाद Government of India ने समझा कि अभी भी emergency है, इसलिए उसको continue करने के लिए कानून बनाया गया। और आज उसने तय किया कि ३१ मार्च के बाद उसे खतम कर दिया जाय। मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने House के सामने कह दिया कि Centre इस Act को इसी महीने में रद्द करने जा रहा है। जनाब सदर, लड़ाई के जमाने में मकान लिया गया और जमीन भी ली गई Defence of India Rules में यह सब चीजें देखने को मिलती थीं। लड़ाई जमाना हुआ खतम हो गयी अब इस किस्म के extraordinary laws को भी खतम कर देना चाहिए। मगर बिहार सरकार के सामने एक चीज अगर एक बार आ जाती है तो वह हमेशे के लिए रह जाती है। एक बार Public Safety

Act आया तो हमेशे के लिये रह गया ; Maintenance of Public Order Act आया तो रह गया और control आया तो रह गया। जब तक यह सरकार है तब तक वह चीज भी रह जायगी।

मेरे दोस्त फरमाते हैं कि गवर्नमेंट से आपकी क्या शिकायत है। क्या हम कम किराया देते हैं? अगर गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है और लोग खुशी से मकान देते हैं तो इस तरह का कानून बनाने की क्या जरूरत है। गवर्नमेंट को मकान की जरूरत होती तो advertise करती कि हमें १० मकान की जरूरत है। लोग apply करते और १०० मकान का offer आता। उसमें १० मकान लिया जाता और बाकी ९० बेचारे जिनका मकान नहीं लिया गया वे रोते कि गवर्नमेंट के ऐसा अच्छा किरायादार छूट गया। यह कानून जबर्दस्ती को साबित करता है कि लोग आपको मकान नहीं देना चाहते हैं। लोग आप की सूरत और आपके कानून की सूरत को देख कर पनाह मांगते हैं। उसी तरह से हमारे Revenue Minister को बिहार की जनता देख कर डर जाती है और angel of death समझती है।

मेरे दोस्त ने बताया है कि वह मकान public के लिये लेना चाहते हैं। मेरे मुतल्लिक मेरे दोस्त ने बताया है कि मैं बड़ी बुर्जुआ mentality का हूं। क्या मेरे दोस्त वाकई public के लिये मकान लेते हैं या अपने अफसरान के लिये लेते हैं? मेरे दोस्त बतावें कि कब और कहां उन्होंने public के लिये मकान लिया है। Public के लिये हरगिज कोई मकान नहीं लिया गया है।

पंडित धनराज शर्मा: गजाधर मंदिर जैसे घर होस्टल के लिये और refugees के लिये लिये गये हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद: वह by agreement लिया गया है। मेरे दोस्त ने कहा है कि गरीबों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि कुछ अमीर लोग ऐसे हैं जिन्हें १०-१२ मकान हैं। मेरा ख्याल है कि अमीरों की तरफ उनका इशारा करना जायज नहीं है, जब मिनिस्टरान खुद अमीरों के जैसे महलों में रहते हैं। गरीबों के लिए महल कहां? अगर वाकई गरीबों के लिए मकान लेते तो आप इसका नमूना दिखलाते। जैसे गरीब झोपड़ियों में रहते हैं मिनिस्टरान भी कुटिया में रहते। इसलिए गरीबों का नाम लेना उनके लिए जायज नहीं है। अगर मिनिस्टरान गरीबों की जिन्दगी बसर करते तो वह ऐसा कह सकते थे। अगर वे वैसा रहते तो केवल बिहार सूबे से ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान से capitalism खतम हो गया हुआ रहता। अगर वे कुटिया में रहते तो आज capitalism खतम हो जाता। यहां तो दिखाना कुछ और है, practice कुछ और है, profession कुछ और है, दिल में कुछ और है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए कुछ असर नहीं होता है। इसलिए हुकूमत capitalism को खतम नहीं कर सकती है।

मेरे दोस्त ने कहा है कि सब कुछ स्टेट का है। हमलोगों को खुशी होगी जिस दिन सब कुछ स्टेट का हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि mentality बदलनी होगी।

श्री सैयद अमीन अहमद: अगर ऐसी mentality है तो हम उसका welcome करते हैं। Mentality नहीं है। Limited class of people के लिए discrimination करना चाहते हैं। सबों के लिए एक तरह का बर्ताव हो तो इतमिनान हो। अगर तकलीफ होगी तो सब को बराबर। अगर यह असूल को मानते हैं तो जिस काम के लिए कानून बनावें इस हाउस के अन्दर एक शख्स भी एतराज नहीं करेगा।

जनाब सदर, सहरसा में मकान की जरूरत है तो वहां लोग खुशी से मकान देंगे। अगर सचमुच गोदाम के लिए लेना चाहते हैं तो इस ऐक्ट की जरूरत नहीं है। इस्तहार कीजिए और देखिये कि हर शख्स मकान देने को तैयार है लेकिन शर्त यह रहे कि गोदाम के लिए मकान लें और गोदाम का काम जिस दिन खत्म हो जाय, यह मकान वापस हो जायेगा। लेकिन मेरे दोस्त मकान गोदाम के नाम पर लेते हैं और अफसरों के लिए residence बन जाता है। बराबर हमने कहा है कि जिस purpose के लिये लें वह purpose अगर खतम हो जाये तो उसको छोड़ दीजिये। लड़ाई के जमाने में paper store करने के लिये एक मकान लिया गया जब यह काम खत्म हो गया तो वह अब अफसरों के लिए आराम की जगह बन गया है। करीब ५-१० बीघे का compound है उसमें पचासों आम के दरख्त हैं। आम खाते हैं और compound में घूमते हैं।

आप हमेशा यही कहते हैं। आप military अफसरों के लिए मकान ले लेते हैं, लेकिन जब वहां से वे चले जाते हैं तोभी नहीं छोड़ते हैं। हमलोग गोशाला के लिए मकान मांगते हैं तो नहीं मिलता है। अब बताइये किस की brutal mentality है। जनाब सदर, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है आप जो चाहते हैं वह कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप अगर आंख खोल कर देखें और public से राय लें तो वह कभी भी आपकी बात नहीं मानेगी। जनाब सदर, रेल पर सड़क पर, या जहां कहीं भी आप जायें सरकार की criticism होती रहती है। आपको यकीन दिलाता हूं कि public कभी भी आपको गोदाम के लिये मकान नहीं देगी।

मूल प्रश्न यह था कि The Bihar Premises Requsition (Temporary Provisions) Amendment Bill, 1951 पर विचार हो, उसके बाद यह संशोधन पेश हुआ कि उक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाय:

माननीय अध्यक्ष: अतः प्रश्न यह है कि:

The Bihar Premises Requisition (Temporary Provisions) Amendment Bill, 1951 be circulated for eliciting public opinion thereon.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अभी प्रश्न यह है कि:

The Bihar Premises Requisition (Temporary Provisions) Amendment Bill, 1951 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अमीन अहमद को दो संशोधन है, आप पेश करना चाहते हैं या नहीं?

श्री सैयद अमीन अहमद: मैं पेश नहीं करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

खंड ३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग बने।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना" इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"प्रस्तावना" इस विधेयक का अंग बना।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"नाम" इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"नाम" इस विधेयक का अंग बना।

माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

बिहार प्रेमिसेज रिक्विजीशन (टेम्पोररी प्रोविजन्स) अमेंडमेंट बिल, १९५१, स्वीकृत हो।

श्री सैयद अमीन अहमद: अब मुझे कुछ कहना नहीं है। जो कहना था कह दिया मेरे ख्याल में वह काफी है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

बिहार प्रेमिसेज रिक्विजीशन (टेम्पोररी प्रोविजन्स) अमेंडमेंट बिल, १९५१, स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।